

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1 से 25

राज्य शासन द्वारा ब्याज भुगतान हेतु ₹87000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 870,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।